Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

नारायणलाल बनाम **सरकार**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं0 **115** सन् **2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी वाहन स्वामी नारायण लाल पिता नन्दराम जाति खटीक निवासी नारेला हाल मुकाम हाउसिंग बोड गांधीनगर चित्तौड़गढ़ और से पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 118/2023 दिनांक 28.04.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जब्त शुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 52 GA 7322** जिसके इंजन नंबर **AB41C25223** चेचीस नंबर **41C18296** को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457 जाफ्ता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ से टिप्पणी/कमेन्ट्स हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/553 दिनांक 24.02.2024 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित कर अवगत कराया गया कि वाहन के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा जब्तशुदा वाहन की आवश्यकता नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा प्रेषित टिप्पणी/अभिमत शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 118/2023 दिनांक 28.04.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 पुलिस थाना गंगरार में जब्तशुदा वाहन एवं माल के निस्तारण बाबत् अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण संख्या 014/2023 (रसद) दर्ज होकर विचाराधीन है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है जिसका निस्तारण मूल प्रकरण में ही किया जाना है ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण को मूल प्रकरण के साथ ही सुना जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण को मूल प्रकरण संख्या 008/2025(रसद) के साथ सुनवाई हेतु रखा गया। प्रकरण संख्या 014/2023(रसद) में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर **RJ 52 GA 7322** जिसके इंजन नंबर **AB41C25223** चेचीस नंबर **41C18296** प्रार्थी नारायण लाल खटीक पिता नन्दराम खटीक निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ को रूपये **10,00,000/-** अक्षरे दस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी नारायण लाल पिता नन्दराम जाति खटीक निवासी नारेला हाल मुकाम हाउसिंग बोड गांधीनगर चित्तौड़गढ़ को सौंपे जाने के आदेश दिए गये है, अतः पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। -S/d- (आलोक रंजन) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ 25.11.2025 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	